# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 55/22 दायरा दिनांक 20.09.2022

**पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)**

1. गुड्डीबाई पत्नि लक्ष्मीचन्द उम्र 40 वर्ष जाति कोली निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. मीना पुत्री लक्ष्मीचन्द उम्र 18 वर्ष जाति कोली निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. मनीष उम्र 14 वर्ष नाबालिग पुत्र लक्ष्मीचन्द जरिये बली माता गुड्डीबाई पत्नि लक्ष्मीचन्द जाति कोली निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

**– वादीगण**

–: बनाम :–

1. लक्ष्मीचन्द पुत्र सुखलाल जाति कोली निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति कोली निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. जमनालाल पुत्र सुखलाल जाति कोली निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. चमेली पुत्री सुखलाल पत्नि सुन्दरलाल जाति कोली निवासी केलवाडा हाल निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. गुड्डी पुत्री सुखलाल पत्नि पप्पू जाति कोली निवासी केलवाडा हाल निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

**– प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**निर्णय दिनांक– 20.01.2023**

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री पंकज शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी कम 3 व 4)
3. एकपक्षीय (प्रतिवादी कम 1,2,5)
4. पेरोकार सरकार (प्रतिवादी कम 6)

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम केलवाडा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 9.08 बीघा किता 2 कुल क्षेत्रफल 9.11 [illegible] कृषि भूमि स्थित है। जिसे दावे में आगे विवादित आराजी [illegible] है। [illegible] विवादित आराजी मूल रूप से पथरू पुत्र अमरचन्द कोली निवासी केलवाडा के [illegible] की रही है, जो पथरू की मृत्यु के बाद विरासतन पथरू की पुत्री लक्ष्मा को नामान्तरकरण नंबर [illegible] से प्राप्त हुई है। तदुपरान्त लक्ष्मा की मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजी नामान्तरकरण संख्या 1289 दिनांक 29–05–2015 से विरासतन प्रतिवादी कम 1 लगायत 5

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:59:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। इस प्रकार दर्ज खातेदार लक्ष्मीचन्द पुत्र सुखलाल का उक्त विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा निहित है, लक्ष्मीचन्द की वादी क्रम 1 विवाहिता पत्नि तथा वादी क्रम 2 पुत्री एवं वादी क्रम 3 नाबालिग पुत्र है। उक्त विवादित आराजी पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण पैत्रक सम्पत्ति है, जिसमें दर्ज प्रतिवादी क्रम 1 लक्ष्मीचन्द के हिस्सा 1/5 में वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ प्रत्येक वादी का 1/20 हिस्सा निहित है, जो वादीगण का संयुक्त हिस्सा 3/20 होता है। प्रतिवादी क्रम 1 वर्ष 2016 से अपनी पत्नि वादी क्रम 1 के जीवित रहते, वादी क्रम 1 को तलाक दिये बिना, सुशीला सहरिया निवासी दांता नाम की विधवा औरत से नाजायज सम्बन्ध बनाकर उसी के साथ, उसका पति बन के रह रहा है और वादीगण के प्रति अपने दाम्पत्य व पिता के कर्तव्यों से विमुख है। दिनांक 17–12–2017 को रूबरू पंच प्रतिवादी क्रम 1 ने सरेआम स्वीकार किया है कि उसका कोई हक जमीन–जायदाद व बच्चों पर नहीं है, जमीन का हक दोनों बच्चों का रहेगा। तब से वादी क्रम 1 अपने ससुराल में ही रहकर दोनो बच्चों अर्थात वादी क्रम 2 व 3 की परवरिस उक्त हिस्सा आराजी को काश्त कराकर करती चली आ रही है। अब प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदनियति आ गई है और वह विवादित हिस्सा आराजी 1/5 को अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त हिस्सा आराजी का विक्रय करने पर आमादा हो रहा है, यदि वह अपने उक्त मंसूवे में कामयाब हो गया और उसने उक्त विवादित हिस्सा आराजी अन्य को विक्रय कर दी तो वादीगण अपने पुश्तैनी हक से सदैव के लिये वंचित हो जावेंगे तथा दर–दर की ठोकरें खाने को विवश होंगे, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव ही नहीं होगा। इस कारण वादीगण विवादित आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हक व हिस्सा 3/20 की घोषणा करा–कर अपने नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी हैं और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी प्रतिवादी क्रम 1 नहीं करें, इस हेतु वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के हकदार हैं, आदि।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 की ओर से इकबाली जबाव पेश किया गया और प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 5 [illegible] जिनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये। वादी[illegible] से पी.डब्ल्यू–1 वादीनी गुड्डीबाई के बयान कराये और [illegible] में नकल जमाबन्दी ग्राम केलवाडा सम्वत 2071–74 [illegible] सम्बत 2047–50 प्रदर्श 3, पंचनामा प्रदर्श 4 पेश किये। [illegible] अधिवक्तागण की वहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:59:07 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने कथन किया है कि ग्राम केलवाडा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 9.08

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

बीघा किता 2 कुल क्षेत्रफल 9.11 बीघा कृषि भूमि मूल रूप से पथरू पुत्र अमरचन्द कोली निवासी केलवाडा के खाते की रही है, जो पथरू की मृत्यु के बाद विरासतन पथरू की पुत्री लक्ष्मा को नामान्तरकरण नंबर 346 से प्राप्त हुई है। तदुपरान्त लक्ष्मा की मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजी नामान्तरकरण संख्या 1289 दिनांक 29–05–2015 से विरासतन प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। इस प्रकार दर्ज खातेदार लक्ष्मीचन्द पुत्र सुखलाल का उक्त विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा निहित है, लक्ष्मीचन्द की वादी कम 1 विवाहिता पत्नि तथा वादी कम 2 पुत्री एवं वादी कम 3 नाबालिग पुत्र है। उक्त विवादित आराजी पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण पैत्रक सम्पत्ति है, जिसमें दर्ज प्रतिवादी कम 1 लक्ष्मीचन्द के हिस्सा 1/5 में वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 के साथ प्रत्येक वादी का 1/20 हिस्सा निहित है, जो वादीगण का संयुक्त हिस्सा 3/20 होता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम केलवाडा प्रदर्श 2 में विवादित भूमि फतरू पुत्र अमरचन्द कौम कोली के नाम दर्ज रही है, जो नामान्तरण संख्या 346 से फतरू के स्थान पर लक्ष्मा पुत्री फतरू को प्राप्त हुई है, जिसका नो इसी जमाबंदी में अंकित है, बाद में यही भूमि नामान्तरण संख्या 1289 से प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 को विरासत से प्राप्त हुई है, जिससे यह भलिभांति साबित है कि विवादित आराजी पैत्रक है। विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 लक्ष्मीचन्द का 1/5 हिस्सा दर्ज है, चूंकि वादीगण लक्ष्मीचन्द के पुत्र/पुत्री/पत्नि होकर वैधानिक वारिस हैं, इस कारण वादीगण का उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में वैधानिक हक व अधिकार निहित होना पाया जाता है और वादीगण प्रतिवादी कम 1 के दर्ज हिस्सा 1/5 में समभाग से हकदार हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केलवाडा तहसील शाहावाद की आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 582 रकबा 9.08 बीघा किता 2 कुल क्षेत्रफल 9.11 बीघा में से प्रतिवादी कम 1 के दर्ज हिस्सा 1/5 में वादीगण को समभाग से खातेदार घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 लक्ष्मीचन्द के स्थान पर वादीगण का हिस्सा 3/20 तथा प्रतिवादी कम का हिस्सा 1/20 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:59:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner